

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

राजस्थान शिक्षा सेवा के निम्नांकित व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) संस्कृत के स्थानान्तरण उनके नाम के सामने अंकित स्थान पर तत्काल प्रभाव से किये जाते हैं-

क्रम	नाम कार्मिक	कहाँ से राउमावि/राबाउमावि	जिला	कहाँ को राउमावि/राबाउमावि	जिला
1	त्रिलोक चन्द यादव	बरना, अजमेर से (आदेशों की प्रतीक्षा में) के आदेश पर	Ajmer	रा.अन्ध उमावि आदर्श नगर, अजमेर (महावीर प्रसाद वैष्णव के स्थान पर)	Ajmer
2	महावीर प्रसाद वैष्णव	रा.अन्ध उमावि आदर्श नगर, अजमेर	Ajmer	आदेशों की प्रतीक्षा में।	Ajmer
3	आशुतोष पण्ड्या	करजी, पं.स. बागीदौरा	Banswara	राउमावि बडौदिया पं.स. बागीदौरा	Banswara

उक्त कार्मिक नवीन पदस्थापन स्थान पर दिनांक 07.06.18 तक आवश्यक रूप से कार्यग्रहण करेंगे। क्रम संख्या 02 पर

अंकित कार्मिकों को नियमानुसार योगकाल एवं यात्रा भत्ता देय होगा तथा जिन कार्मिकों को पदस्थापन की प्रतीक्षा में रखा गया है, वे आगामी आदेशों तक अपनी उपस्थिति संबंधित जिले के कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी-माध्यमिक शिक्षा में देंगे। जिन कार्मिकों का परीवीक्षाकाल पूर्ण नहीं हुआ है उन्हें कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे। RVRES कार्मिकों को नगर निगम/नगर परिषद्/नगर पालिका/शहरी पदस्थापन स्थानान्तरण पर कार्यमुक्त/ कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे। लम्बे समय से अनुपस्थित/निलम्बित/कोर्ट स्थगन कार्मिकों को उक्त स्थानान्तरण/पदस्थापन पर कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे एवं निदेशालय को सूचित किया जावे। यदि किसी कार्मिक का स्थानान्तरण विधवा/दिव्यांग कार्मिक के विरुद्ध हो गया है तो कार्मिक को कार्यमुक्त/ कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे अन्यथा प्रभारी-संस्था प्रधान के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। एम.एड. योग्यताधारी कार्मिकों को ही डाईट में कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करवाया जावे। पद विरुद्ध वरिष्ठ अध्यापक कार्यरत होने की स्थिति में व्याख्याता को कार्यग्रहण करवाकर वरिष्ठ अध्यापक को संबंधित उप निदेशक कार्यालय में आदेशों की प्रतीक्षा में कार्यमुक्त करें। सम्बन्धित कार्मिकों का कार्यग्रहण/कार्यमुक्ति अनिवार्य रूप से शालादर्पण के माध्यम से ही की जावे।


(नयमल डिप्टेल)


अध्यक्ष
निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक-शिविरा-माध्य/संस्था/सी-1/स्थानान्तरण/संस्कृत/2018 दिनांक- 02.06.2018

प्रतिलिपि:-प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

- 1 विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार)प्रा.मा.शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर
- 2 संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा(ग्रुप-2)विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
- 3 सम्बन्धित उप निदेशक, माध्यमिक. . .
- 4 सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक. . .
- 5 सम्बन्धित शाला/संस्था प्रधान को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार शाला दर्पण को तत्काल अद्यतन करावे।
- 6 सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अद्यतन करने हेतु
- 7 सम्बन्धित कार्मिक
- 8 रक्षित पत्रावली


संस्कृत निदेशक(कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर